पुराने पद का वेतन ले रहे प्रोबेशन ट्रेनी को नहीं मिलेगा बोनस

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
नियम अनुभाग

प.6(5)वित्त/नियम/2009 पार्ट–I जयपुर, दिनांक : 18 NOV 2019

परिपत्र

विषयः राज्य कर्मचारियों को देय एडहॉक बोनस के संबंध में प्रोबेशनर ट्रेनी बाबत स्पष्टीकरण।

राज्य कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिये तदर्थ बोनस दिये जाने बाबत आदेश कमांक प.6(5)वित्त/नियम/2009 दिनांक 18–8–2019 जारी किये गये हैं। उक्त आदेश के बिन्दु (g) में निम्नानुसार व्यवस्था दी गई है :

(g) Employees appointed as probationer trainee shall not be eligible for ad-hoc bonus.

पूर्व सेवा में प्राप्त नियमित वेतनमान का विकल्प प्रोबेशनर ट्रेनी की अवधि के दौरान दिये जाने के फलस्वरूप तदर्थ बोनस दिये जाने के संदर्भ में वित्त (नियम) विभाग में मार्गदर्शन हेतु प्रकरण प्राप्त हुए हैं। प्राप्त प्रकरणों की समीक्षा / परीक्षण उपरान्त निम्नानुसार स्पष्टीकरण जारी किया जाता है :–

जो प्रोबेशनर ट्रेनी पूर्व में राज्य सरकार की नियमित सेवा में नियुक्त हैं, उन्हें केवल पूर्व पद का वेतन प्रोबेशनर ट्रेनी अवधि में लिये जाने का विकल्प दिया गया है। राजकीय सेवा में पूर्व से नियुक्त कर्मचारी की भी सीधी भर्ती से नये पद पर प्रोबेशनर ट्रेनी के रूप में नियुक्ति प्रशिक्षण अवधि ही मानी जाती है। अतः नियत पारिश्रमिक पर नियुक्त प्रोबेशनर ट्रेनी को प्रशिक्षण अवधि (प्रोबेशनर ट्रेनी अवधि) में तदर्थ बोनस देय नहीं होने के दृष्टिगत राजकीय सेवा में पूर्व से नियमित रूप से नियुक्त कर्मचारी जिन्हें पूर्व पद का वेतन लिये जाने का विकल्प दिया है, को प्रोबेशनर ट्रेनी के रूप में नियुक्ति पर भी तदर्थ बोनस देय नहीं है।

18/11/19
(हेमन्त कुमार गेरा)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा शिक्षक जानकारी के लिए प्रसारित